न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी, श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

अपील संख्या 02/2017

अपीलान्टस

1. खम्मा देवी बेवा जुगताराम जाति सुथार निवासी पतासर तहसील पचपदरा हाल निवासी बालेसर तहसील शेरगढ
2. फूलीदेवी पुत्री जुगताराम जाति सुथार निवासी पतासर तहसील पचपदरा हाल निवासी बालेसर तहसील शेरगढ

उत्तरदातागण

1. ग्राम पंचायत बाणियावास जरिये सरपंच
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा
3. हल्का पटवारी बाणियावास
4. कुम्भाराम पुत्र चैनाराम जाति सुथार
5. जैताराम पुत्र चैनाराम जाति सुथार
6. पनाराम पुत्र पूनमाराम जाति सुथार
7. हस्ताराम पुत्र वेहनाराम जाति सुथार
8. रूपाराम पुत्र चिमाराम जाति सुथार
9. सोनाराम पुत्र चिमाराम जाति सुथार
10. प्रेमा पुत्र लाबूराम जाति सुथार
11. गोपा पुत्र लाबूराम जाति सुथार
12. भीया पुत्र लाबूराम जाति सुथार
13. शेरा पुत्र लाबूराम जाति सुथार
14. चनणाराम पुत्र गोविन्दराम जाति सुथार
15. घेवरराम पुत्र गोविन्दराम जाति सुथार
16. सांगा पुत्र नोडूराम जाति सुथार
17. बालाराम पुत्र चैनाराम जाति सुथार

सभी निवासी बालेंसर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 179 दिनांक 18.02.1986 को पारित आदेश ग्राम पंचायत असाड़ा के द्वारा ।

उपस्थितिः– 1. श्री थानसिंह राजपुरोहित वकील अपीलान्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:07:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 15.02.2021

अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत अपील के [illegible] कि अपीलान्टस हिन्दु है एवं जाति से सुथार है, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्टस अपने पति एवं पिता जुगताराम पुत्र पुनमाराम सुथार की पैतृक कृषि भूमि में हक व हिस्सा पाने की अधिकारी है, वंशावली के अनुसार स्व0 पूनमाराम के एक कुटुम्ब हिन्दु परिवार है, अपी[illegible] संख्या 01 स्वर्गीय जुगताराम की विधवा पत्नि है तथा अपीलान्टस संख्या 02 जुगताराम की इकलौती पुत्री संतान है, स्व0 जुगताराम के कोई पुरूष संतान नहीं है।अपीलांटस अनपढ महिलाए है जिन्हे राजस्व रेकर्ड के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं है। स्वर्गीय जुगताराम की फौतगी पर नामान्तरकरण भूल से रेस्पोडेन्टस संख्या 04 व 05 के नाम

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

भरा गया जबकि स्वर्गीय जुगताराम के कोई पुरूष संतान नहीं है, तथा अपीलांटस ही स्व0 जुगताराम की पत्नि एवं पुत्री संतान है, जो हिन्दु उत्तराधिकार के तहत अनुसूची प्रथम श्रेणी की वारिस है।

अपीलान्ट ने अन्त में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत बाणियावास के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 159 दिनांक 18.02.1986 को पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

उत्तरदाता संख्या 04 एवं 16 की और से ईकबाली जवाब अपील का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपील के तथ्य सही होने से स्वीकार कर अपीलांट की अपील को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। उत्तरदाता के अन्त में निवेदन किया गया कि अपीलांट की अपील को स्वीकार की जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह स्पष्ट साबित है कि अपीलान्ट स्वर्गीय जुगताराम की विधवा पत्नि एवं पुत्री है, तथा उत्तरदाता संख्या 04 कुम्भाराम पुत्र चैनाराम ने अपने राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसमें कुम्भराम व जैताराम जो चैनाराम के पुत्र प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपती प्रतीत नहीं होती है।

अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत बाणियावास के द्वारा ग्राम पतासर के नामान्तरकरण संख्या 159 दिनांक 18.02.1986 को पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है, तहसीलदार पचपदरा को पुनः प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे स्वर्गीय करणीया के विधिक उत्तराधिकारी की जांच स्वंय करवाते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

आज दिनांक 12.02.2021 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:07:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner